



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ ब्यावर मे पुलिस थाना ब्यावर सदर के हैड कानि. व दलाल को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 20 जुलाई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामाकिशन हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना ब्यावर सदर व दलाल कानाराम को परिवादी से सम्बन्धित परिवाद में राजीनामा करवाया जाकर राजीनामा की राशि 9,000/- के अतिरिक्त 8,000/- रुपये रिश्वत राशि परिवादी से दलाल कानाराम को दिलवाये गये जो रिश्वत राशि कानाराम द्वारा एसीबी टीम को देखकर अपने परिचित राहुल काठात को दी जो रिश्वत राशि लेकर मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि ए.सी.बी. अजमेर इकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर के हैड कानि. रामाकिशन व कांस्टेबल मनोज द्वारा परिवादी की बहन के पुलिस थाना ब्यावर सदर पर दिये परिवाद में राजीनामा करवाये जाने की एवज में राजीनामा राशि के अतिरिक्त रिश्वत राशि 10,000/- रुपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है। रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया गया तो कानि. मनोज एवं हैड कानि रामाकिशन को रिश्वत राशि 8,000/- रुपये देना तय हुआ।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजवीर सिंह चंपावत के नेतृत्व में आज कुशलाराम निरीक्षक पुलिस एवं टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही की गई। पुलिस थाना ब्यावर सदर के रामाकिशन हैड कानि द्वारा दलाल कानाराम को 8,000/- रुपये दिलवाये जो रिश्वत राशि 8,000/- रुपये कानाराम द्वारा एसीबी टीम को देखकर अपने परिचित राहुल काठात को दी जो रिश्वत राशि लेकर राहुल काठात मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है।

आरोपीयों से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामलें मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।